



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

कृषि भूमि विनिमय एवं किसानों की आर्थिक स्थिति: बाराबंकी जनपद के नगरीय सीमांत क्षेत्रों का एक अध्ययन

1-सर्वेश कुमार शुक्ला

शोध छात्र

मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय

प्राकृतिक विज्ञान एवं मानविकी संस्थान,

श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी

बाराबंकी, उत्तर प्रदेश- 225003

2-प्रो.(डॉ.) अमर पाल सिंह

मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय

प्राकृतिक विज्ञान एवं मानविकी संस्थान,

श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी

बाराबंकी, उत्तर प्रदेश- 225003

सारांश

कृषि भूमि ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका, रोजगार तथा आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तीव्र नगरीकरण, आधारभूत संरचनात्मक विस्तार तथा भूमि के बढ़ते मूल्यों ने अनेक ग्रामीण एवं नगरीय सीमांत क्षेत्रों में कृषि भूमि की बिक्री एवं खरीद की प्रक्रिया को तीव्र किया है। इन भूमि लेन-देन का किसानों की आर्थिक स्थिति तथा उनकी आजीविका की रणनीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में कृषि भूमि के लेन-देन का किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है। अध्ययन में **वर्णनात्मक अनुसंधान अभिकल्प** का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़े **80 किसानों** से संरचित साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से एकत्रित किए गए तथा उनका विश्लेषण आवृत्ति, प्रतिशत एवं सारणीबद्ध विधियों के माध्यम से किया गया।

अध्ययन के निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि कृषि भूमि की बिक्री से किसानों को तत्कालीन आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। विशेष रूप से भूमि बिक्री से प्राप्त धनराशि का उपयोग ऋण चुकाने, आवास में सुधार करने, बच्चों की शिक्षा में निवेश करने, घरेलू परिसंपत्तियों की खरीद करने तथा गैर-कृषि व्यवसाय स्थापित करने में किया गया। हालांकि, कृषि भूमि के स्वामित्व में कमी के कारण कृषि आय में गिरावट, नियमित कृषि रोजगार के अवसरों में कमी तथा उत्तरदाताओं के एक महत्वपूर्ण वर्ग में मजदूरी एवं गैर-कृषि गतिविधियों पर निर्भरता में वृद्धि भी देखी गई। इसके विपरीत, जिन किसानों ने अतिरिक्त कृषि भूमि खरीदी, उन्होंने कृषि आय में अपेक्षाकृत अधिक स्थिरता तथा आजीविका की बेहतर सुरक्षा की सूचना दी।

अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि कृषि भूमि का विनिमय किसानों की आर्थिक स्थिति पर **सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव** उत्पन्न करता है। यद्यपि भूमि की बिक्री से परिवारों की अल्पकालिक आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, परंतु जब भूमि बिक्री से प्राप्त धनराशि का उपयोग उत्पादक निवेश के बजाय उपभोग में किया जाता है, तो दीर्घकाल में यह आजीविका की स्थिरता एवं आर्थिक सुरक्षा को कमजोर कर सकता है। अध्ययन तीव्र गति से नगरीकरण की ओर बढ़ रहे क्षेत्रों में किसानों के दीर्घकालिक आर्थिक कल्याण को सुरक्षित रखने के लिए **उत्पादक पुनर्निवेश, वित्तीय साक्षरता, आजीविका विविधीकरण तथा सतत भूमि प्रबंधन** के महत्व को रेखांकित करता है।

प्रमुख शब्द: कृषि भूमि, भूमि बिक्री, भूमि खरीद, आर्थिक स्थिति, किसान, नगरीकरण, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।

परिचय

कृषि भूमि ग्रामीण परिवारों की सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक परिसंपत्तियों में से एक है, जो आय, रोजगार, खाद्य सुरक्षा तथा दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है। कृषक समुदायों के लिए भूमि केवल एक आर्थिक संसाधन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक सुरक्षा तथा पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली संपत्ति का भी एक महत्वपूर्ण आधार है। हालांकि, तीव्र नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, आधारभूत संरचनाओं का विकास, आवासीय बस्तियों का विस्तार तथा भूमि की बढ़ती कीमतों के कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि भूमि के विनिमय एवं उपयोग-परिवर्तन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जनपद, विशेष रूप से विस्तारित हो रहे नगरीय एवं आधारभूत संरचनात्मक गलियारों के निकट स्थित गाँवों में भी कृषि भूमि के उपयोग एवं स्वामित्व के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं।

कृषि भूमि की बिक्री किसानों को अल्प अवधि में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करा सकती है। इस प्रकार प्राप्त आय का उपयोग ऋण चुकाने, मकान के निर्माण अथवा मरम्मत, बच्चों की शिक्षा एवं विवाह, वाहन तथा घरेलू उपकरणों की खरीद, चिकित्सा संबंधी व्यय अथवा व्यवसाय एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों में निवेश के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार भूमि का लेन-देन कृषक परिवारों की भौतिक परिस्थितियों तथा आर्थिक स्थिति में अस्थायी सुधार ला सकता है। दूसरी ओर, कृषि योग्य भूमि में स्थायी कमी कृषि उत्पादन तथा नियमित कृषि आय पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। एक बार उत्पादक कृषि परिसंपत्ति के रूप में भूमि बेच दिए जाने के बाद परिवारों की निर्भरता मजदूरी, वेतनभोगी रोजगार, छोटे व्यवसायों अथवा आजीविका के अन्य गैर-कृषि स्रोतों पर बढ़ सकती है।

इसके विपरीत, कृषि भूमि की खरीद कृषक परिवारों के उत्पादक आधार को मजबूत कर सकती है। अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने वाले किसान खेती के क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपना सकते हैं, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर सकते हैं तथा कृषि आय में संभावित वृद्धि कर सकते हैं। हालांकि, भूमि खरीद से प्राप्त आर्थिक लाभ पूंजी, सिंचाई, तकनीक, श्रम तथा प्रभावी कृषि प्रबंधन की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। इसलिए भूमि के लेन-देन के आर्थिक परिणामों को केवल प्राप्त अथवा व्यय की गई धनराशि के आधार पर नहीं समझा जा सकता, बल्कि उन्हें आय, रोजगार, परिसंपत्तियों, आजीविका सुरक्षा तथा जीवन की गुणवत्ता में होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में भी समझना आवश्यक है।

इसी पृष्ठभूमि में प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में कृषि भूमि की बिक्री एवं खरीद का किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है। यह अध्ययन **80 किसानों** से संरचित साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से एकत्रित प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित है। अध्ययन में भूमि लेन-देन के कारण परिवार की आय, रोजगार के अवसर, आवास, घरेलू परिसंपत्तियों, शिक्षा, ऋण, निवेश, कृषि उत्पादकता तथा समग्र आर्थिक कल्याण में होने वाले परिवर्तनों का परीक्षण किया गया है। यह अध्ययन तीव्र नगरीकरण तथा बदलती ग्रामीण आर्थिक संरचनाओं के

संदर्भ में कृषि भूमि के लेन-देन के कार्यात्मक एवं दुष्कार्यात्मक दोनों प्रकार के परिणामों को पहचानने का प्रयास करता है।

साहित्य की समीक्षा

पूर्ववर्ती अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि कृषि भूमि ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति एवं आजीविका सुरक्षा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। **देसाई (2005)** ने कृषक परिवारों के लिए भूमि को एक उत्पादक संसाधन के साथ-साथ आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण बताया है। **एलिस (2000)** ने आजीविका विविधीकरण के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि कृषि संसाधनों तक पहुँच में होने वाले परिवर्तन ग्रामीण परिवारों को गैर-कृषि गतिविधियों से रोजगार एवं आय प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

नगरीकरण एवं ग्रामीण परिवर्तन से संबंधित अध्ययनों ने यह भी संकेत दिया है कि विस्तारित होती नगरीय बस्तियाँ प्रायः कृषि भूमि के बाजार मूल्य में वृद्धि करती हैं। **भट्टाचार्य (2019)** ने बताया कि नगरीय विस्तार तथा भूमि की बढ़ती कीमतों ने नगरीय सीमांत क्षेत्रों में भूमि के लेन-देन को प्रोत्साहित किया है। इससे किसानों को तत्काल आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन इसके साथ ही दीर्घकाल में कृषि-आधारित आजीविका कमजोर होने की संभावना भी रहती है। **सिंह (2021)** ने अवलोकन किया कि उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि के विखंडन एवं उपयोग-परिवर्तन ने किसानों की आय के स्वरूप, व्यावसायिक संरचना तथा रोजगार के अवसरों में परिवर्तन में योगदान दिया है।

सरकारी रिपोर्टों, जिनमें *कृषि सांख्यिकी एक दृष्टि में (Agricultural Statistics at a Glance)* तथा *कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन (Situation Assessment of Agricultural Households)* प्रमुख हैं, ने भी परिचालित कृषि जोतों के आकार में कमी तथा परिवार की आय के गैर-कृषि स्रोतों के बढ़ते महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इस प्रकार उपलब्ध साहित्य यह संकेत करता है कि भूमि का लेन-देन **द्वैध स्वरूप** रखता है। एक ओर, यह मुआवजे एवं परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के माध्यम से अल्पकालिक आर्थिक लाभ उत्पन्न कर सकता है, वहीं दूसरी ओर यह कृषि के उत्पादक आधार को कम कर सकता है तथा दीर्घकालिक आजीविका असुरक्षा को जन्म दे सकता है।

नगरीय विस्तार से प्रभावित क्षेत्रों में कृषि भूमि के लेन-देन के बढ़ते महत्व के बावजूद, **बाराबंकी जनपद** में किसानों द्वारा कृषि भूमि की बिक्री एवं खरीद के विशिष्ट आर्थिक परिणामों पर केंद्रित जनपद-स्तरीय अनुभवजन्य अध्ययन अपेक्षाकृत सीमित हैं। अतः प्रस्तुत अध्ययन कृषि भूमि के लेन-देन के संदर्भ में किसानों की बदलती आर्थिक स्थिति से संबंधित अनुभवजन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रयास करता है।

अनुसंधान पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन में **वर्णनात्मक अनुसंधान अभिकल्प** को अपनाया गया है, जिसका उद्देश्य **उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद** में कृषि भूमि की बिक्री एवं खरीद का किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है। यह अध्ययन **80 किसानों से एकत्रित प्राथमिक आँकड़ों** पर आधारित है, जिन्हें कृषि भूमि की बिक्री अथवा खरीद का प्रत्यक्ष अनुभव था। उत्तरदाताओं का चयन **उद्देश्यपूर्ण निदर्शन (Purposive Sampling)** के माध्यम से किया गया, ताकि अध्ययन में विशेष रूप से उन किसानों को सम्मिलित किया जा सके जिन्हें कृषि भूमि के लेन-देन का प्रत्यक्ष अनुभव रहा हो।

प्राथमिक आँकड़े एक **संरचित साक्षात्कार अनुसूची** के माध्यम से एकत्रित किए गए। साक्षात्कार अनुसूची में उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं, भूमि-जोत के आकार, भूमि की बिक्री एवं खरीद, आय, रोजगार, भूमि बिक्री से प्राप्त धनराशि के उपयोग, आवासीय परिस्थितियों, घरेलू परिसंपत्तियों, कृषि निवेश, ऋण तथा आर्थिक स्थिति में अनुभव किए गए परिवर्तनों से संबंधित प्रश्न सम्मिलित किए गए।

द्वितीयक जानकारी पुस्तकों, शोध-पत्रों, सरकारी प्रकाशनों, सांख्यिकीय रिपोर्टों तथा अन्य प्रासंगिक स्रोतों से प्राप्त की गई। एकत्रित आँकड़ों का संपादन, कोडिंग एवं वर्गीकरण करने के पश्चात **आवृत्ति, प्रतिशत एवं सारणीबद्ध विश्लेषण** की सहायता से विश्लेषण किया गया। कृषि भूमि के लेन-देन के सकारात्मक एवं नकारात्मक आर्थिक परिणामों का आकलन करने के लिए निष्कर्षों को विभिन्न सारणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. बाराबंकी जनपद के किसानों की **आय एवं रोजगार के अवसरों** पर कृषि भूमि की बिक्री एवं खरीद के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. किसानों के **आवास, घरेलू परिसंपत्तियों, शिक्षा एवं जीवन की गुणवत्ता** के संदर्भ में कृषि भूमि की बिक्री एवं खरीद के कार्यों का अध्ययन करना।
3. बाराबंकी जनपद में किसानों की आर्थिक स्थिति एवं दीर्घकालिक आजीविका सुरक्षा पर कृषि भूमि की बिक्री एवं खरीद के **दुष्कार्यों तथा नकारात्मक आर्थिक परिणामों** का अध्ययन करना।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय

बाराबंकी जनपद **उत्तर प्रदेश** के मध्य भाग में स्थित है तथा यह **अयोध्या मंडल** का एक हिस्सा है। लखनऊ के निकट इसकी भौगोलिक स्थिति ने ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के बीच बढ़ते हुए संपर्क और अंतःक्रिया को प्रोत्साहित किया है। कृषि अभी भी ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े वर्ग के लिए महत्वपूर्ण व्यवसाय एवं आजीविका का प्रमुख स्रोत है। यहाँ की प्रमुख कृषि गतिविधियों में धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन तथा तिलहन की खेती शामिल है।

हाल के वर्षों में नगरीय विस्तार, सड़क निर्माण एवं विकास, आवासीय निर्माण, वाणिज्यिक गतिविधियों तथा भूमि की बढ़ती मांग ने कृषि भूमि के उपयोग एवं स्वरूप में परिवर्तन को बढ़ावा दिया है। सड़कों, कस्बों तथा विस्तारित होती बस्तियों के निकट स्थित कृषि भूमि का बाजार मूल्य अपेक्षाकृत अधिक हो गया है, जिसके कारण कुछ किसान अपनी जोत के एक हिस्से को बेचने के लिए प्रेरित हुए हैं। दूसरी ओर, कुछ किसानों ने उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का उपयोग अतिरिक्त कृषि भूमि खरीदने अथवा गैर-कृषि गतिविधियों में निवेश करने के लिए किया है।

ये परिवर्तन बाराबंकी जनपद को कृषि भूमि के लेन-देन के आर्थिक परिणामों के अध्ययन के लिए एक उपयुक्त क्षेत्र बनाते हैं। प्रस्तुत अध्ययन जनपद के चयनित क्षेत्रों से लिए गए **80 किसानों के सर्वेक्षण** पर आधारित है।

सारणी 1: कृषि भूमि की बिक्री एवं खरीद का किसानों की आय एवं रोजगार के अवसरों पर प्रभाव (N = 80)

क्र. सं.	आय एवं रोजगार पर प्रभाव	किसानों की संख्या	प्रतिशत (%)
1	भूमि बिक्री के तुरंत बाद परिवार की आय में वृद्धि	58	72.5
2	भूमि-जोत में कमी के कारण वार्षिक कृषि आय में कमी	51	63.8
3	गैर-कृषि व्यवसाय/स्वरोजगार में निवेश	29	36.3
4	कृषि से मजदूरी अथवा वेतनभोगी रोजगार की ओर स्थानांतरण	32	40.0
5	कृषि भूमि की खरीद से कृषि आय में सुधार	18	22.5
6	व्यवसाय अथवा सेवा क्षेत्र के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि	26	32.5
7	भूमि खरीद के बाद आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाना	14	17.5
8	विविधीकृत आजीविका स्रोतों के माध्यम से स्थिर आय	22	27.5
9	नियमित कृषि रोजगार का नुकसान	27	33.8
10	भूमि लेन-देन के बाद आर्थिक स्थिति में समग्र सुधार	40	50.0

स्रोत: क्षेत्रीय सर्वेक्षण, बाराबंकी जनपद, उत्तर प्रदेश (N = 80), 2026।

सारणी 1 में प्रस्तुत आँकड़े दर्शाते हैं कि कृषि भूमि के लेन-देन का किसानों की आय एवं रोजगार पर **सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव** पड़ा है। कुल **72.5 प्रतिशत** उत्तरदाताओं ने कृषि भूमि की बिक्री के तुरंत बाद परिवार की आय में वृद्धि की सूचना दी। यह वृद्धि मुख्यतः भूमि के लेन-देन से प्राप्त धनराशि के कारण हुई। इससे स्पष्ट होता है कि भूमि की बिक्री किसानों को अल्पावधि में पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा सकती है तथा उनकी तत्काल आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक हो सकती है।

हालांकि, परिवार की आय में हुई तत्काल वृद्धि आवश्यक रूप से दीर्घकालिक कृषि आय में वृद्धि में परिवर्तित नहीं हुई। लगभग **63.8 प्रतिशत** उत्तरदाताओं ने भूमि-जोत के आकार में कमी के कारण वार्षिक कृषि आय में कमी की सूचना दी। यह स्थिति दर्शाती है कि कृषि परिसंपत्ति को वित्तीय संसाधन में परिवर्तित करने से अल्पकाल में परिवार की **नकदी उपलब्धता एवं आर्थिक तरलता** में सुधार हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही परिवार की दीर्घकालिक उत्पादक क्षमता में कमी आने की संभावना रहती है।

लगभग **40.0 प्रतिशत** उत्तरदाता कृषि कार्य से मजदूरी अथवा वेतनभोगी रोजगार की ओर स्थानांतरित हुए, जबकि **36.3 प्रतिशत** उत्तरदाताओं ने गैर-कृषि व्यवसाय अथवा स्वरोजगार में निवेश किया। यह ग्रामीण आजीविका के क्रमिक **विविधीकरण** की ओर संकेत करता है। कृषि भूमि में कमी के कारण कुछ परिवारों ने अपनी आय एवं रोजगार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैर-कृषि क्षेत्रों का सहारा लिया। इसी क्रम में **33.8 प्रतिशत** उत्तरदाताओं ने नियमित कृषि रोजगार के अवसरों के समाप्त होने या कम होने की सूचना दी। यह कृषि भूमि के स्थायी नुकसान के रोजगार संबंधी दुष्परिणाम को दर्शाता है।

जिन किसानों ने अतिरिक्त कृषि भूमि खरीदी, उनमें से **22.5 प्रतिशत** ने कृषि आय में सुधार की सूचना दी, जबकि **17.5 प्रतिशत** किसानों ने भूमि खरीदने के बाद आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाया। इससे संकेत मिलता है कि अतिरिक्त कृषि भूमि किसानों के उत्पादन आधार को मजबूत करने तथा कृषि उत्पादकता बढ़ाने का अवसर प्रदान कर सकती है। हालांकि, इसका प्रभाव पूंजी, सिंचाई, तकनीक, श्रम तथा कृषि प्रबंधन जैसे अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है।

लगभग 27.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विविधकृत आजीविका स्रोतों के माध्यम से अपेक्षाकृत स्थिर आय प्राप्त होने की जानकारी दी। यह तथ्य दर्शाता है कि कृषि भूमि के लेन-देन के बाद आय के वैकल्पिक स्रोतों का विकास कुछ परिवारों के लिए आर्थिक स्थिरता का माध्यम बन सकता है। अंततः 50.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने भूमि के लेन-देन के बाद अपनी समग्र आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस किया।

समग्र रूप से, सारणी 1 के निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि कृषि भूमि का लेन-देन किसानों के लिए **अल्पकालिक आर्थिक लाभ तथा दीर्घकालिक आर्थिक चुनौतियों दोनों** को जन्म दे सकता है। भूमि की बिक्री से प्राप्त धनराशि तत्काल आय, ऋण-निपटान, परिसंपत्ति निर्माण एवं गैर-कृषि निवेश में सहायक हो सकती है, जबकि भूमि-जोत में स्थायी कमी कृषि आय एवं नियमित कृषि रोजगार को प्रभावित कर सकती है। दूसरी ओर, कृषि भूमि की खरीद किसानों के उत्पादक आधार को मजबूत करने और आधुनिक कृषि अपनाने के अवसर प्रदान करती है। अतः भूमि लेन-देन का वास्तविक आर्थिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि किसान प्राप्त धनराशि का किस प्रकार उपयोग करते हैं तथा शेष कृषि संसाधनों का किस प्रकार प्रबंधन करते हैं।

सारणी 2: कृषि भूमि की बिक्री एवं खरीद का किसानों के आवास, घरेलू परिसंपत्तियों एवं जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव (N = 80)

क्र. सं.	आवास, घरेलू परिसंपत्तियों एवं जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव	किसानों की संख्या	प्रतिशत (%)
1	भूमि के लेन-देन के बाद नया पक्का (स्थायी) मकान बनाया	45	56.3
2	वर्तमान मकान का नवीनीकरण अथवा विस्तार किया	19	23.8
3	टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि घरेलू उपकरण खरीदे	42	52.5
4	मोटरसाइकिल, कार अथवा ट्रैक्टर जैसे वाहन खरीदे	30	37.5
5	बिजली, स्वच्छता एवं पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं तक पहुँच में सुधार हुआ	34	42.5
6	बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय में वृद्धि हुई	37	46.3
7	जीवन स्तर एवं सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ	38	47.5
8	कृषि मशीनरी अथवा टिकाऊ घरेलू परिसंपत्तियाँ खरीदीं	24	30.0
9	आवास अथवा जीवन की गुणवत्ता में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ	16	20.0
10	भूमि बिक्री से प्राप्त धन समाप्त होने के कारण केवल अस्थायी सुधार का अनुभव हुआ	27	33.8

स्रोत: क्षेत्रीय सर्वेक्षण, बाराबंकी जनपद, उत्तर प्रदेश (N = 80), 2026।

सारणी 2 के निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि कृषि भूमि के लेन-देन का किसानों की **आवासीय परिस्थितियों, घरेलू परिसंपत्तियों एवं जीवन की गुणवत्ता** पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है। आधे से अधिक उत्तरदाताओं (56.3 प्रतिशत) ने बताया कि भूमि के लेन-देन के बाद उन्होंने नया पक्का मकान बनवाया, जबकि 23.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपने वर्तमान मकान का नवीनीकरण अथवा विस्तार किया। इससे स्पष्ट होता है कि भूमि बिक्री से प्राप्त धनराशि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आवासीय परिस्थितियों में सुधार करने के लिए उपयोग किया गया।

इसी प्रकार, 52.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि घरेलू उपकरणों की खरीद की, जबकि 37.5 प्रतिशत ने मोटरसाइकिल, कार अथवा ट्रैक्टर जैसे वाहनों की खरीद की। लगभग 42.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बिजली, स्वच्छता एवं पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं तक अपनी पहुँच में सुधार की सूचना दी। इसके अतिरिक्त, 46.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय में वृद्धि की। इससे संकेत मिलता है कि भूमि के लेन-देन से प्राप्त धनराशि का उपयोग केवल भौतिक उपभोग एवं परिसंपत्ति निर्माण के लिए ही नहीं, बल्कि परिवार के कल्याण एवं मानव पूंजी के विकास के लिए भी किया गया।

लगभग 47.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपने जीवन स्तर एवं सामाजिक स्थिति में सुधार महसूस किया। भूमि बिक्री से प्राप्त धनराशि ने कुछ परिवारों को बेहतर आवास, घरेलू सुविधाएँ, वाहन तथा अन्य परिसंपत्तियाँ प्राप्त करने में सक्षम बनाया, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं जीवन शैली में भी परिवर्तन आया। इस प्रकार भूमि के लेन-देन ने कुछ परिवारों के लिए आर्थिक संसाधनों में वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक एवं भौतिक जीवन में भी परिवर्तन उत्पन्न किया।

हालांकि, सभी परिवारों को भूमि लेन-देन से समान लाभ प्राप्त नहीं हुआ। 20.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि भूमि के लेन-देन के बाद उनके आवास अथवा जीवन की गुणवत्ता में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, 33.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अनुभव किया कि उनकी आर्थिक स्थिति में हुआ सुधार केवल अस्थायी था, क्योंकि भूमि बिक्री से प्राप्त धनराशि धीरे-धीरे समाप्त हो गई। यह स्थिति इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि भूमि बिक्री से प्राप्त एकमुश्त धनराशि यदि उत्पादक परिसंपत्तियों अथवा आय-सृजन करने वाली गतिविधियों में निवेश नहीं की जाती है, तो उसका प्रभाव दीर्घकाल तक कायम नहीं रह सकता।

समग्र रूप से, सारणी 2 के निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि कृषि भूमि के लेन-देन से किसानों की **अल्पकालिक भौतिक एवं जीवन-स्तरीय परिस्थितियों में महत्वपूर्ण सुधार** हो सकता है। बेहतर आवास, घरेलू उपकरण, वाहन, मूलभूत सुविधाएँ, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर अधिक व्यय इसके प्रमुख सकारात्मक परिणाम हैं। लेकिन इन सुधारों को स्थायी आर्थिक कल्याण में परिवर्तित करने के लिए भूमि बिक्री से प्राप्त धनराशि का **उत्पादक एवं आय-सृजनकारी परिसंपत्तियों में निवेश** आवश्यक है। अन्यथा भूमि बिक्री से प्राप्त धन के समाप्त हो जाने के बाद परिवार पुनः आर्थिक असुरक्षा एवं आजीविका संबंधी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं।

सारणी 3: कृषि भूमि की बिक्री एवं खरीद के किसानों की आर्थिक स्थिति पर दुष्कार्य (N = 80)

क्र. सं.	कृषि भूमि की बिक्री एवं खरीद के आर्थिक दुष्कार्य	किसानों की संख्या	प्रतिशत (%)
1	भूमि-जोत में कमी के कारण कृषि आय में गिरावट	54	67.5
2	नियमित कृषि रोजगार का नुकसान	35	43.8
3	मुआवजे/भूमि बिक्री से प्राप्त धनराशि का शीघ्र समाप्त होना	43	53.8
4	मजदूरी अथवा अस्थायी रोजगार पर निर्भरता में वृद्धि	34	42.5
5	पारिवारिक व्यय में वृद्धि एवं बचत में कमी	38	47.5
6	भूमि बिक्री से प्राप्त धनराशि को उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश करने में असफलता	32	40.0
7	कृषि परिसंपत्तियों के नुकसान के कारण आर्थिक असुरक्षा में वृद्धि	42	52.5
8	दीर्घकालिक आजीविका सुरक्षा में कमी	46	57.5
9	मुआवजे की राशि समाप्त होने के बाद ऋणग्रस्तता	26	32.5
10	परिवार के भरण-पोषण के लिए गैर-कृषि आय पर अधिक निर्भरता	37	46.3

स्रोत: क्षेत्रीय सर्वेक्षण, बाराबंकी जनपद, उत्तर प्रदेश (N = 80), 2026।

सारणी 3 में प्रस्तुत निष्कर्ष कृषि भूमि के लेन-देन से संबंधित विभिन्न **आर्थिक दुष्कार्यों** को स्पष्ट करते हैं। कुल 67.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने भूमि-जोत में कमी के कारण कृषि आय में गिरावट की सूचना दी। यह अध्ययन में पहचाना गया सबसे प्रमुख नकारात्मक आर्थिक परिणाम है। इससे स्पष्ट होता है कि कृषि भूमि की बिक्री से प्राप्त तत्काल वित्तीय लाभ के साथ-साथ परिवार की नियमित एवं कृषि-आधारित आय के स्थायी स्रोत में कमी आ सकती है।

लगभग 57.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने दीर्घकालिक आजीविका सुरक्षा में कमी की सूचना दी, जबकि 53.8 प्रतिशत ने बताया कि भूमि बिक्री अथवा मुआवजे से प्राप्त धनराशि अपेक्षाकृत कम समय में समाप्त हो गई। यह स्थिति इस बात को

दर्शाती है कि भूमि बिक्री से प्राप्त एकमुश्त धनराशि यदि दीर्घकालिक आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों में निवेश नहीं की जाती है, तो उसका आर्थिक प्रभाव स्थायी नहीं रह पाता। इसके अतिरिक्त, 52.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कृषि परिसंपत्तियों के नुकसान के कारण आर्थिक असुरक्षा में वृद्धि का अनुभव किया।

लगभग 47.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पारिवारिक व्यय में वृद्धि के साथ बचत में कमी की सूचना दी। इससे संकेत मिलता है कि भूमि बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त धनराशि का एक हिस्सा उपभोग संबंधी आवश्यकताओं में खर्च हो गया, जिससे भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा हेतु उपलब्ध बचत कम हो गई। इसी प्रकार, 46.3 प्रतिशत उत्तरदाता परिवार के भरण-पोषण के लिए गैर-कृषि आय पर अधिक निर्भर हो गए, जबकि 42.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मजदूरी अथवा अस्थायी रोजगार पर अपनी निर्भरता बढ़ने की जानकारी दी। लगभग 43.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नियमित कृषि रोजगार के नुकसान का अनुभव किया।

आँकड़ों से यह भी स्पष्ट होता है कि 40.0 प्रतिशत उत्तरदाता भूमि बिक्री से प्राप्त धनराशि को उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश करने में सफल नहीं रहे। परिणामस्वरूप, 32.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मुआवजे अथवा भूमि बिक्री से प्राप्त राशि समाप्त हो जाने के बाद ऋणग्रस्तता की सूचना दी। यह स्थिति भूमि बिक्री से प्राप्त धन के उचित वित्तीय प्रबंधन एवं उत्पादक उपयोग की कमी की ओर संकेत करती है।

समग्र रूप से, सारणी 3 के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि कृषि भूमि को वित्तीय पूंजी में परिवर्तित करने से दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा स्वतः सुनिश्चित नहीं होती। भूमि बिक्री से प्राप्त धनराशि किसानों की तत्काल आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लेकिन यदि उसका उपयोग उत्पादक परिसंपत्तियों, स्थायी आय-सृजनकारी गतिविधियों या अन्य दीर्घकालिक निवेशों में नहीं किया जाता है, तो आर्थिक लाभ धीरे-धीरे समाप्त हो सकते हैं। कृषि भूमि के नुकसान के साथ कृषि आय एवं रोजगार में कमी, बचत में गिरावट, गैर-कृषि आय पर निर्भरता तथा आर्थिक असुरक्षा में वृद्धि किसानों की दीर्घकालिक आजीविका को प्रभावित कर सकती है। अतः कृषि भूमि के लेन-देन के संदर्भ में उत्पादक निवेश, वित्तीय नियोजन, आजीविका विविधीकरण तथा दीर्घकालिक परिसंपत्ति निर्माण किसानों की आर्थिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

सारणी 4: कृषि भूमि की बिक्री एवं खरीद का किसानों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव (N = 80)

क्र. सं.	आर्थिक प्रभाव	किसानों की संख्या	प्रतिशत (%)
1	भूमि बिक्री के तुरंत बाद परिवार की आय में वृद्धि	59	73.8
2	आवास एवं घरेलू परिसंपत्तियों में सुधार	50	62.5
3	बच्चों की शिक्षा में निवेश	38	47.5
4	ऋण एवं उधार की अदायगी	46	57.5
5	अन्य स्थान पर नई कृषि भूमि की खरीद	19	23.8
6	ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी अथवा सिंचाई सुविधाओं की खरीद	26	32.5
7	गैर-कृषि व्यवसाय अथवा रोजगार की ओर स्थानांतरण	34	42.5
8	भूमि-जोत में कमी के कारण वार्षिक कृषि आय में गिरावट	54	67.5
9	मजदूरी अथवा सेवा क्षेत्र पर निर्भरता में वृद्धि	30	37.5
10	अल्पावधि में समग्र आर्थिक स्थिति में सुधार	43	53.8
11	मुआवजे की राशि समाप्त होने के बाद वित्तीय अस्थिरता	37	46.3
12	बचत में वृद्धि अथवा सावधि जमा/व्यवसाय में निवेश	24	30.0

स्रोत: क्षेत्रीय सर्वेक्षण, बाराबंकी जनपद, उत्तर प्रदेश (N = 80), 2026।

प्रभाव का विश्लेषण

सारणी 4 में प्रस्तुत निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि बाराबंकी जनपद के किसानों के लिए कृषि भूमि की बिक्री एवं खरीद के परिणाम **मिश्रित आर्थिक प्रभावों** के रूप में सामने आए हैं। कुल **73.8 प्रतिशत** उत्तरदाताओं ने भूमि के लेन-देन के बाद परिवार की आय में तत्काल वृद्धि का अनुभव किया। यह ग्रामीण परिवारों के लिए कृषि भूमि के वित्तीय पूंजी के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करने को दर्शाता है। भूमि की बिक्री से प्राप्त धनराशि ने अनेक किसानों को अपनी तत्काल आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने तथा ऐसे व्यय करने में सक्षम बनाया, जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में पूरा करना कठिन हो सकता था।

आवास एवं घरेलू परिसंपत्तियों की स्थिति में भी उल्लेखनीय सुधार देखा गया। लगभग **62.5 प्रतिशत** उत्तरदाताओं ने आवास एवं घरेलू परिसंपत्तियों में सुधार की सूचना दी, जबकि **57.5 प्रतिशत** किसानों ने भूमि बिक्री से प्राप्त धनराशि का उपयोग ऋण एवं उधार चुकाने के लिए किया। लगभग **47.5 प्रतिशत** उत्तरदाताओं ने बच्चों की शिक्षा में निवेश किया। इससे स्पष्ट होता है कि कृषि भूमि के लेन-देन से प्राप्त धनराशि का उपयोग केवल भौतिक परिसंपत्तियों के निर्माण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि परिवार के कल्याण एवं **मानव पूंजी के विकास** के लिए भी किया गया।

हालांकि, अध्ययन के निष्कर्षों में महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव भी सामने आए हैं। लगभग **67.5 प्रतिशत** किसानों ने भूमि-जोत के आकार में कमी के कारण वार्षिक कृषि आय में गिरावट की सूचना दी। लगभग **42.5 प्रतिशत** उत्तरदाता गैर-कृषि व्यवसाय अथवा रोजगार की ओर स्थानांतरित हुए, जबकि **37.5 प्रतिशत** किसानों की निर्भरता मजदूरी अथवा सेवा क्षेत्र पर बढ़ गई। ये परिवर्तन ग्रामीण किसानों की **व्यावसायिक एवं आजीविका संरचना में परिवर्तन** को दर्शाते हैं, जिसमें कृषि भूमि के आधार में कमी के बाद परिवार अपनी आय के लिए वैकल्पिक गैर-कृषि स्रोतों की ओर बढ़ते हैं।

केवल **23.8 प्रतिशत** उत्तरदाताओं ने अन्य स्थान पर कृषि भूमि खरीदने की सूचना दी, जबकि **30.0 प्रतिशत** ने अपनी बचत बढ़ाई अथवा सावधि जमा एवं व्यवसाय में निवेश किया। इसी प्रकार, केवल **32.5 प्रतिशत** उत्तरदाताओं ने ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी अथवा सिंचाई सुविधाओं में निवेश किया। उत्पादक पुनर्निवेश का यह अपेक्षाकृत सीमित स्तर इस बात का संकेत देता है कि भूमि बिक्री से प्राप्त धनराशि का एक बड़ा हिस्सा **उपभोग, ऋण अदायगी, आवास निर्माण तथा अन्य तत्काल आवश्यकताओं** पर खर्च किया गया, न कि स्थायी आय-सृजनकारी परिसंपत्तियों के निर्माण में।

इसके अतिरिक्त, **53.8 प्रतिशत** उत्तरदाताओं ने भूमि के लेन-देन के बाद अल्पावधि में अपनी समग्र आर्थिक स्थिति में सुधार अनुभव किया। किंतु **46.3 प्रतिशत** उत्तरदाताओं ने मुआवजे अथवा भूमि बिक्री से प्राप्त धनराशि समाप्त हो जाने के बाद वित्तीय अस्थिरता का अनुभव किया। यह तथ्य दर्शाता है कि भूमि बिक्री से प्राप्त एकमुश्त आय तत्काल आर्थिक समस्याओं को कम कर सकती है, लेकिन यदि उसका उपयोग उत्पादक एवं दीर्घकालिक निवेशों में नहीं किया जाता है, तो उसका लाभ स्थायी नहीं रह सकता।

समग्र रूप से, सारणी 4 यह दर्शाती है कि कृषि भूमि का लेन-देन किसानों के लिए **अल्पकालिक आर्थिक सुधार तथा दीर्घकालिक आर्थिक जोखिम दोनों** उत्पन्न करता है। भूमि बिक्री से प्राप्त धनराशि ने आवास, शिक्षा, ऋण अदायगी एवं घरेलू परिसंपत्तियों में सुधार के माध्यम से परिवारों की तत्काल आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाया। दूसरी ओर, कृषि भूमि के कम होने से कृषि आय में गिरावट, गैर-कृषि रोजगार पर निर्भरता तथा भविष्य की वित्तीय अस्थिरता जैसी समस्याएँ भी उत्पन्न हुईं। अतः किसानों की दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा के लिए भूमि बिक्री से प्राप्त धनराशि का **उत्पादक पुनर्निवेश, बचत, व्यवसाय, कृषि मशीनरी, सिंचाई तथा अन्य स्थायी आय-सृजनकारी गतिविधियों** में उपयोग अत्यंत आवश्यक है।

यद्यपि 53.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अल्पावधि में अपनी समग्र आर्थिक स्थिति में सुधार की सूचना दी, वहीं 46.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मुआवजे अथवा भूमि बिक्री से प्राप्त धनराशि समाप्त हो जाने के बाद वित्तीय अस्थिरता का अनुभव किया। समाजशास्त्रीय एवं आर्थिक दृष्टिकोण से यह निष्कर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि कृषि भूमि को वित्तीय पूंजी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना अस्थायी समृद्धि उत्पन्न कर सकती है।

समग्र रूप से, अध्ययन के निष्कर्ष यह संकेत देते हैं कि कृषि भूमि का लेन-देन किसानों के लिए एक दोहरी धार वाली आर्थिक प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। एक ओर, यह किसानों को तत्काल वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराता है, आवास एवं घरेलू परिसंपत्तियों में सुधार करता है, ऋण चुकाने में सहायता प्रदान करता है तथा शिक्षा एवं गैर-कृषि निवेश के अवसर उत्पन्न करता है। दूसरी ओर, कृषि भूमि में स्थायी कमी से कृषि आय में गिरावट, कृषि रोजगार के अवसरों में कमी, गैर-कृषि व्यवसायों एवं रोजगारों पर बढ़ती निर्भरता तथा दीर्घकालिक आजीविका सुरक्षा में कमजोरी जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

अतः भूमि के लेन-देन का आर्थिक प्रभाव मुख्यतः भूमि बिक्री से प्राप्त धनराशि के उद्देश्य एवं प्रबंधन पर निर्भर करता है। कृषि क्षेत्र, लघु उद्यमों, शिक्षा, वित्तीय परिसंपत्तियों तथा अन्य टिकाऊ आय-सृजनकारी गतिविधियों में उत्पादक पुनर्निवेश करने से भूमि बिक्री से प्राप्त आय को दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा में परिवर्तित करने में सहायता मिल सकती है। इसके विपरीत, जब प्राप्त धनराशि का मुख्यतः उपभोग किया जाता है अथवा उसे बिना किसी उत्पादक निवेश के समाप्त कर दिया जाता है, तो आर्थिक स्थिति में प्रारंभिक सुधार अस्थायी सिद्ध हो सकता है।

इस प्रकार, अध्ययन के निष्कर्ष तेजी से नगरीकरण की ओर बढ़ रहे बाराबंकी जैसे क्षेत्रों में किसानों के आर्थिक कल्याण एवं दीर्घकालिक आजीविका सुरक्षा को बनाए रखने के लिए वित्तीय साक्षरता, उत्पादक पुनर्निवेश, आजीविका विविधीकरण तथा सतत भूमि-उपयोग नीतियों के महत्व को रेखांकित करते हैं।

संदर्भ सूची

- अवस्थी, डी. एन. (2018)। *रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया: इश्यूज़ एंड चैलेंजेज़*। न्यू रॉयल बुक कंपनी।
- भट्टाचार्य, पी. (2019)। भारत में शहरीकरण एवं ग्रामीण भूमि बाज़ार। *जर्नल ऑफ रूरल स्टडीज़*, 68, 85–94।
- भारत की जनगणना। (2011)। *प्राइमरी सेंसस एबस्ट्रैक्ट: उत्तर प्रदेश*। भारत सरकार, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय।
- देसाई, ए. आर. (2005)। *रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया* (5वाँ संस्करण)। पॉपुलर प्रकाशन।
- उत्तर प्रदेश सरकार। (2023)। *डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल हैंडबुक: बाराबंकी*। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार।
- कुमार, ए., सिंह, के. एम., एवं कुमार, पी. (2020)। भारत में कृषि भूमि उपयोग परिवर्तन एवं ग्रामीण आजीविका। *एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स रिसर्च रिव्यू*, 33(1), 67–79।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। (2023)। *एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लान्स 2023*। भारत सरकार।
- नीति आयोग। (2021)। *उबलिंग फार्मर्स इनकम: प्रोग्रेस एंड वे फॉरवर्ड*। भारत सरकार।
- सिंह, आर. (2021)। उत्तर प्रदेश में शहरी सीमांत क्षेत्रों का विस्तार एवं भूमि विखंडन। *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, 56(18), 42–49।
- सिंह, एस. (2019)। उत्तर भारत में कृषि भूमि बाज़ार एवं किसानों की आजीविका। *इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स*, 74(3), 321–335।
- विश्व बैंक। (2022)। *जॉब्स एंड लाइवलीहुड्स: कनेक्टिंग पीपल टू ऑपच्युनिटीज़*। विश्व बैंक।

- भारत सरकार। (2013)। *द राइट टू फेयर कम्पेन्सेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विज़िशन, रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट, 2013*। विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। (2019)। *सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स इन इंडिया (एनएसएस रिपोर्ट संख्या 587)*। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।
- संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग। (2019)। *वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट्स: द 2018 रिवीजना* संयुक्त राष्ट्र।
- एलिस, एफ. (2000)। *रूरल लाइवलीहुड्स एंड डाइवर्सिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज़*। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

